क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जे-1, ज्ञान सरोवर कालोनी,
रामघाट रोड, अलीगढ़-20200

No- -1810/AH-257)2022 Dt- 19-02-2022

To,

Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
New Delhi.

Subject: **<u>Compliance report in the matter of O.A. No.- 281/2021 Ajay Srivastav Vs. State of Uttar Pradesh & Anr. dated 08.11.2021 passed by Hon'ble NGT.</u>**

Sir,

With reference to above subject the compliance report is being uploaded for further necessary action in compliance of order dated- 08.11.2021 passed by Hon'ble NGT in OA No- 281/2021 Ajay Srivastav Vs. State of Uttar Pradesh & Anr.

Regards.

Enclosure- As above.

19/2/22

(Anil Kumar Chaudhary)
Regional Officer, UPPCB,
Aligarh,

"Compliance report in the matter of O.A. No.- 281/2021 Ajay Srivastav Vs. State of Uttar Pradesh & Anr. dated 08.11.2021 passed by Hon'ble NGT"

The Hon'ble NGT has passed an order dated 08.11.2021 in OA No.- 281/2021 Ajay Srivastav Vs. State of Uttar Pradesh & Anr. The operative portion of order is as under:-----

--------1. Grievance in this application is against illegal operation of slaughter house by M/s HMA Agro Industries Limited, Talaspur, Khurd, Mathura, Bypass road, Tehsil Kol, District Aligarh, UP, in spite of closure order under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 by the State PCB on 07.07.2020.

2. Let the State PCB look into the matter and take remedial action following due process of law. An action taken report be furnished to the Tribunal within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List for further consideration on 21.02.2022.

The industry is question M/s HMA Agro Industries Limited, Talaspur Khurd, Mathura, Bypass road, Tehsil Kol, District Aligarh, UP was inspected on dt. 12.01.2022 & 15.02.2022 by Officials of Regional Office, Aligarh in presence of Shri Akhtar Syed, General Manager as representative of industry. The inspection report contains the following facts:

1. At the time of inspection industry was found closed. No live stock or finished products was found in the industry premises. No production activities were observed during inspection.

2. The industry has the capacity of 500 Nos. slaughtering of buffalo per day for the production of 70.5 MT/Day boneless Frozen Meat as well as by product of 15 MT/Day Tallow & 15 MT/Day Blood meal, prior to closure of the industry.

3. Earlier the industry was inspected by Regional Officer, Aligarh with City Magistrate, Aligarh, C.O. City (Police), Aligarh & veterinary Officer, Aligarh on dt. 12.03.2019. Treated water sample was collected during the inspection & analysis report of the sample was found beyond the prescribed limits of the Board i.e. BOD- 34 mg/l & COD- 288.0 mg/l. In the light of above closure order reference no. H33821/C-4/Jal/Pradushan-32/Bandi Adesh/2019 dt. 17.03.2019 was issued by the Board. In the compliance of closure order, industry was closed on dt. 17.03.2019. Copy of closure order dt. 17.03.2019 is annexed as **Annexure-I**.

4. The industry filed Writ Petition no. 10259/2019 M/s HMA Agro Industries Ltd. Vs Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. against the above closure order of the Board before the Hon'ble High Court Allahabad. The Hon'ble High Court has passed an order dt. 31.05.2019 of which operative part is as below:-

   "We are also in agreement with the judgment passed by the co-ordinate Bench in HMA agro industries ltd. Vs. State of U.P. & Ors (supra) and accordingly, this writ petition is allowed and the

impugned order dated 17.03.2019 is quashed. However, the respondent authorities shall be at liberty so pass appropriate order in accordance with law after complying with procedure prescribed in the water Act as well as water rules within a period of four weeks from today after serving show cause notice along with the requisite documents to the petitioner."

5. In compliance of the order dt. 31.05.2019 in Writ Petition no. 10259/2019, show cause notice ref. no. H37157/C-4/32/Ka.Ba.No./2019 dt. 10.06.2019 was issued to industry by the Board under the provisions of section -33A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 as amended. Copy of show cause notice dt. 10.06.2019 is annexed as **Annexure-II**.

6. In reply to the show cause notice dt. 10.06.2019, the representation of the industry was decided by the Board after seeking the reports from District Level committee and representation was decided with the direction under section 33A read with 27 (2) to maintain the closure of the industry and communicated vide letter ref. no. H45975/C-4/Jal/32/2020 dt. 07.01.2020. Copy of order dt. 07.01.2020 is annexed as **Annexure-III**.

7. The closure order ref. no. H45975/C-4/Jal/32/2020 dt. 07.01.2020 was challenged by the industry before Hon'ble NGT. The Hon'ble NGT passed the order in Appeal No. 5/2020 M/s HMA Agro Industries Ltd. Vs Uttar Pradesh Pollution Control Board dated 13.02.2020 as below:-
------"We consider it necessary to require a factual report in the matter from a joint committee comprising of the CPCB, CGWA and the U.P. State PCB within two months by email at judicial-ngt@gov.in. The U.P. State PCB will be the nodal agency for compliance and coordination. The committee may get a trial run conducted with a view to conduct the inspections."

8. In the compliance of order dt. 13.02.2020 a three member committee comprising of members namely Sri Y.N. Mishra, Scientist-C from CPCB, Sri Jagdamba Prasad, Scientist-D, Central Ground Water Authority & Sri Ram Gopal, Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Aligarh was constituted. The committee visited the industry on dt. 15.06.2020 & fact finding report was submitted on dt. 28.08.2020 to Hon'ble NGT, New Delhi. The aforesaid appeal was dismissed by Hon'ble NGT vide order dt. 09.10.2020.

Presently the industry M/s HMA Agro Industries Limited, Talaspur Khurd, Mathura, Bypass road, Tehsil Kol, District Aligarh, UP is lying closed in compliance of the closure order issued by Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow.

18/2/22

(A.K. Chaudhary)
Regional Officer
U.P. Pollution Control Board,
Aligarh

संलग्नक-1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या - H33821/सी-4/जल प्रदूषण-32/बंदी आदेश/2019 दिनांक 17-03-2019

मैसर्स एच0एम0ए0 एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
तालसपुर खुर्द, मथुरा बाईपास रोड,
जनपद- अलीगढ (उ0प्र0)।

मैसर्स एच0एम0ए0 एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, तालसपुर खुर्द, मथुरा वाईपास रोड, जनपद-अलीगढ द्वारा कच्चे माल के रूप में भैस एवं भैसा जानवर के पशुवध द्वारा फोजन मीट, वोन मील एवं टैलो आदि के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर उत्पादनरत् है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उक्त इकाई का निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नगर मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी पुलिस (नगर) एवं पशुचिकित्साधिकारी, अलीगढ के साथ संयुक्त निरीक्षण दिनांक 12.03.2019 को किया गया, निरीक्षण के समय पशुवध कार्य संचालित पाया गया। पूर्व में दिनांक- 05.03.2019 को किये गये उद्योग के निरीक्षण के समय निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह का किये गये नमूना एकत्रण की विश्लेषण आख्या के अनुसार जल प्रदूषण के प्रचालक- वी0ओ0डी0-34.0 मि0ग्रा0/ली0, सी0ओ0डी0-288.0 मि0ग्रा0/ली0 विश्लेषित होना पाया गया। अतः जल प्रदूषणकारी प्रचालकों की मात्रा बोर्ड मानको से अधिक थी।

क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ एवं अन्य सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा दिनांक- 12.03.2019 में किये गये निरीक्षण की आख्या द्वारा पत्रांक- 2715/ए0एच0-257/19 दिनांक 13.03.2019 बोर्ड को प्राप्त हुई है तथा बोर्ड, को अवगत कराया गया है कि निरीक्षण के समय इकाई द्वारा पशुवध से उत्पन्न वैट वोन, कारकस आदि की रेण्ड्रिंग प्रकिया संचालित की जाती नही पायी गयी, निरीक्षण के समय इकाई द्वारा पशुवध से जनित औद्योगिक उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की इकाई प्राइमरी क्लेरीफायर एवं यू0ए0एस0बी0आर0 प्रथम, द्वितीय, तृतीय इकाईयाँ कार्यरत् होना नही पाया गया। समुचित संचालन के अभाव में यू0ए0एस0बी0आर0 इकाईयों से गैस उत्पन्न नही होती पायी गयी एवं स्लज जमाव पाया गया है।

मैसर्स एच0एम0ए0 एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, तालसपुर खुर्द, मथुरा बाईपास रोड, जनपद-अलीगढ को क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ के पत्रांक- 2275 दिनांक 08-02-2019 द्वारा प्रेषित निर्देश एवं बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक- एच 32348/सी-4/सा0-133/बेव कैमरा/निर्देश/2019 दिनांक- 06-02-2019 द्वारा प्रेषित निर्देशों की अनुपालनात्मक कार्यवाही का विवरण अप्राप्त है तथा बेव कैमरा स्थापना एवं संचालन की स्थिति को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सर्वर से सम्बद्व नही किया गया है एवं पासवर्ड उपलब्ध नही कराया गया है। संयुक्त निरीक्षण दिनांक 12.03.2019 के समय उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र से निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह नमूने की विश्लेषण आख्या के अनुसार जल प्रदूषण के प्रचालक- सस्पेन्डेड सॉलिड- 64.0 मि0ग्रा0/ली0, बी0ओ0डी0-40.0 मि0ग्रा0/ली0, सी0ओ0डी0-320.0 मि0ग्रा0/ली0 विश्लेषित होना पाया गया, जो निर्धारित मानको के अनुरूप नही है।

टी0सी0 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेबसाइट-www.uppcb.com

TC. 12 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

Regional Office
Pollution Control Board
Aligarh

Scanned by CamScanner

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित के प्रख्यापित प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के कारण जल प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए जन स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु राज्य बोर्ड पाया गया है कि इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से रोका जाए।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा– 32 (1)(सी) एवं 33 (ए) के अंतर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत इकाई मैसर्स एच0एम0ए0 एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, तालसपुर खुर्द, मथुरा बाईपास रोड, जनपद– अलीगढ के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा– 32 (1)(सी) एवं 33 (ए) के अंतर्गत निम्नवत् बन्दी आदेश जारी किया जाता है :–

1. मैसर्स एच0एम0ए0 एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, तालसपुर खुर्द, मथुरा बाईपास रोड, जनपद– अलीगढ की पशुवध औद्योगिक प्रक्रिया के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि इकाई मैसर्स एच0एम0ए0 एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, तालसपुर खुर्द, मथुरा बाईपास रोड, जनपद– अलीगढ को मिलने वाली सुविधाओं जैसे विद्युत, पानी की आपूर्ति आदि को विच्छेदित करा दिया जाए।
3. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक– एच 14120/सी–4/जल प्रदूषण–32/2017 दिनांक 27.12.2017 द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक की अवधि हेतु पूर्व में निर्गत सशर्त सहमति (जल) एवं पत्रांक– एच 14121/सी–4/वायु प्रदूषण–32/2017 दिनांक 27.12.2017 द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक की अवधि हेतु निर्गत सशर्त सहमति (वायु) को रिवोक (खण्डित) किया जाता है।

17/3/19
(आर0के0 सिंह)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

<u>प्रतिलिपि :</u> निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, अलीगढ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त पशुवधकर्ता औद्योगिक इकाई की औद्योगिक उत्पादन प्रकियाओं को यथाशीघ्र बन्द कराने का कष्ट करें।
2. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल संस्थान, अलीगढ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त पशुवधकर्ता औद्योगिक इकाई की जल आपूर्ति विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन, अलीगढ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त पशुवधकर्ता औद्योगिक इकाई का विद्युत विच्छेदन करा दिया जाए।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार पारित बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर 02 दिवस में बन्दी अनुपालन आंख्या तथा उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित किये जाने वाली पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि का आंकलन कर संस्तुति सहित तकनीकी आख्या विवरण सहित बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

संलग्नक-2
Ann-13

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या /C-1/32/... /2019 दिनांक 10-6-19

मैसर्स एच0एम0ए0 एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
तालसपुर खुर्द, मथुरा बाईपास रोड,
जनपद- अलीगढ़ (उ0प्र0)।

मैसर्स एच0एम0ए0 एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, तालसपुर खुर्द, मथुरा बाईपास रोड, जनपद- अलीगढ़ द्वारा कच्चे माल के रूप में भैंस एवं भैंसा जानवर के पशुवध द्वारा फ्रोजन मीट, बोन मील एवं टैलो आदि के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर उत्पादनरत् है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उक्त इकाई का निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नगर मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी पुलिस (नगर) एवं पशुचिकित्साधिकारी, अलीगढ़ के साथ संयुक्त निरीक्षण दिनांक 12.03.2019 को किया गया, निरीक्षण के समय पशुवध कार्य संचालित पाया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ एवं अन्य सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा दिनांक- 12.03.2019 में किये गये निरीक्षण की आख्या द्वारा पत्रांक-2715/ए0एच0-257/19 दिनांक 13.03.2019 बोर्ड को प्राप्त हुई है तथा बोर्ड को अवगत कराया गया है कि निरीक्षण के समय इकाई द्वारा पशुवध से उत्पन्न वैट बोन, कारकस आदि की रेण्डिंग प्रकिया संचालित की जाती नही पायी गयी, निरीक्षण के समय इकाई द्वारा पशुवध से जनित औद्योगिक उत्प्रवाह के समुचित शुद्धिकरण हेतु पूर्व से स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र संचालित किया जा रहा था परन्तु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की इकाई प्राइमरी क्लेरीफायर एवं यू0ए0एस0बी0आर0 प्रथम, द्वितीय, तृतीय इकाईयों कार्यरत् नही पायी गयी जिसके कारण यू0ए0एस0बी0आर0 में गैस जनित होना नही पाया गया तथा समुचित रखरखाव एवं संचालन के अभाव में एअर युक्त स्लज टैंकों में उत्प्रवाह पर एकत्रित होनी पायी गयी।

क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ के पत्रांक- 2275 दिनांक 08.02.2019 द्वारा पूर्व में प्रेषित निर्देश एवं बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक- एच 32348/सी-4/सा0-133/वेब कैमरा/निर्देश/2019 दिनांक- 06.02.2019 द्वारा प्रेषित निर्देशों की अनुपालनात्मक कार्यवाही नही की गयी है तथा वेब कैमरा स्थापना के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रदूषण एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सर्वर से सम्बद्ध नही किया गया है तथा पासवर्ड उपलब्ध नही कराया गया है। संयुक्त निरीक्षण दिनांक 12.03.2019 के समय एकत्र किये गये उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र से निस्तारित हो रहे शुद्धिकृत उत्प्रवाह नमूने की विश्लेषण आख्या के अनुसार जल प्रदूषण के प्रचालक बी0ओ0डी0-40.0 मि0ग्रा0/ली0, सी0ओ0डी0-320.0 मि0ग्रा0/ली0 विश्लेषित हुयी है एवं बोर्ड प्राधिकारियों द्वारा दिनांक- 05.03.2019 में किये गये निरीक्षण के समय एकत्र किये गये उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र से निस्तारित हो रहे शुद्धिकृत उत्प्रवाह नमूने की विश्लेषण आख्या के अनुसार जल प्रदूषण के प्रचालक बी0ओ0डी0-34.0 मि0ग्रा0/ली0, सी0ओ0डी0-288.0 मि0ग्रा0/ली0 विश्लेषित हुयी है अतः जल प्रदूषण प्रचालक बोर्ड मानको से अधिक है। इस सम्बन्ध में प्रश्नगत पशुवधशाला के विरूद्ध क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33(ए) के अंतर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति पत्रांक- 2777/दिनांक- 16.03.2019 द्वारा प्राप्त हुई है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित के प्रख्यापित प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण जल प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए जन स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु राज्य बोर्ड को यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इकाई के संचालन को रोका जाए।

अतः मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा याचिका संख्या 10259/2019 मै0 एच0एम0ए0 एग्रो इण्डस्ट्रीज लि0 बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-31.05.2019 के अनुपालन में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा- 33 (ए) के अंतर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत इकाई मैसर्स एच0एम0ए0 एग्रो इण्डस्ट्रीजलिमिटेड, तालसपुर खुर्द, मथुरा

बाईपास रोड, जनपद– अलीगढ के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की 27 (2) सपठित की धारा– 33 (ए) के अंतर्गत निम्नवत् कारण बताओं नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यो न मैसर्स एच0एम0ए0 एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, तालसपुर खुर्द, मथुरा बाईपास रोड जनपद– अलीगढ की पशुवध एवं अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं के संचालन को बन्द ही रखा जाये।
2. यह कि क्यो न सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाये कि को मिलने वाली सुविधाओं जैसे विद्युत, पानी की आपूर्ति आदि को विच्छेदित ही रखा जायें।
3. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक– एच 14120/सी–4/जल प्रदूषण–32/2017 दिनांक 27.12.2017 द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक की अवधि हेतु पूर्व में निर्गत सशर्त सहमति (जल) एवं पत्रांक– एच 14121/सी–4/वायु प्रदूषण–32/2017 दिनांक 27.12.2017 द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक की अवधि हेतु निर्गत सशर्त सहमति (वायु) को क्यो न निरस्त कर दिया जायें।
4. इकाई मैसर्स एच0एम0ए0 एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, तालसपुर खुर्द, मथुरा बाईपास रोड, जनपद– अलीगढ का सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिनांक– 12.03.2019 में किये गये निरीक्षण में इकाई परिसर के बैक गेट एवं ई0टी0पी0 के पास बिछायी गयी Under Ground Pipeline जो कि सीधे निकटवर्ती नाले तक स्थापित की गयी है, का औचित्य एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रश्नगत पाइपलाइन बिछाये जाने की अनुमति प्रस्तुत की जायें।

उपरोक्त कारण बताओं नोटिस की अनुपालन आख्या इस पत्र प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायें, अन्यथा की स्थिति में विधि अनुरूप अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई संचालक का होगा।

<u>संलग्नक</u>– 1. संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 12.03.2019
2. निरीक्षण दिनांक 05.03.2019 एवं 12.3.2019 को निस्तारित हो रहे शुद्धिकृत उत्प्रवाह निस्तारण के नमूने की विश्लेषण आख्या (कुल–02)।

(इं0आर0के0 सिंह)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

<u>प्रतिलिपि</u> : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, अलीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त पारित कारण वताओ नोटिस के सम्बन्ध में अद्यतन अनुपालन आख्या समयानुसार बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

Scanned by CamScanner

Keys
संलग्नक-3 08/01/2020

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या-H 45975 औ0-5/फा0/32/2020 दिनांक- 7-1-20

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट सी सं0– 38449/2019 मैसर्स एच0एम0ए0 एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में दिनांक– 05.12.2019 को पारित आदेश निम्नवत् है :–

"Learned counsel appearing on behalf of the petitioner states that as a consequence to subsequent events taken place, this petition for writ has become infructuous.

It is further stated that a permission has already been granted by the authority competent of the Uttar Pradesh Pollution Control Board to grant an opportunity of personal hearing to the petitioner and now the matter is fixed for hearing on 18th December, 2019.

In view of the statement so given, the writ petition is dismissed as becoming infructuous. The respondents, however, shall decide the entire dispute for which notice to show cause is issued on or before 7th January, 2020 positively."

उद्योग मैसर्स एच0एम0ए0 एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, तालसपुर खुर्द, मथुरा बाईपास रोड, तहसील– कोल, जनपद– अलीगढ को राज्य बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 (ए) सपठित 27 (2) के अंतर्गत निर्गत कारण बताओं नोटिस पत्रांक– एच 37151 दिनांक– 10.06.2019 को जारी किया गया। जिसके अनुकम में उद्योग से प्राप्त प्रत्यावेदन दिनांक– 14.06.2019 एवं दिनांक– 25.06.2019 पर जांच हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा नगर विकास विभाग, अनुभाग–8 के शासनादेश सं0–760/नौ–8–2017–29ज–2019 दिनांक– 22.03.2017 द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थित पशुवधशालाओं का निरीक्षण एवं अवैध रूप से संचालित पशुवधशालाओं की जांच हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलास्तरीय समिति का गठन किये जाने का मत स्थिर किया गया। समिति विवरण निम्नवत् है:–

क्रमांक	सम्बन्धित विभाग/अधिकारी	पदनाम
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
4	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य
5	संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
6	श्रम प्रवर्तन अधिकारी	सदस्य
7	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
8	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
9	खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के विहित प्राधिकारी	सदस्य
10	सम्बन्धित नगर आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषदें/नगर पंचायतें/जिला पंचायत	सदस्य

उपरोक्त शासनादेश दिनांक– 22.03.2017 के अनुसार गठित जिलास्तरीय समिति, अलीगढ से उद्योग मैसर्स एच0एम0ए0 एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड से प्राप्त प्रत्यावेदन के परीक्षण हेतु जिलाधिकारी, अलीगढ को राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा पत्रांक– एच 38923 दिनांक–17.07.2019 के माध्यम से अनुरोध किया गया। तत्क्रम में जिलाधिकारी, अलीगढ द्वारा दिनांक– 25.07.2019 को जिलास्तरीय समिति, अलीगढ का गठन किया गया, जिसमें उपजिलाधिकारी, तहसील– कोल, अलीगढ, क्षेत्राधिकारी(पुलिस) तृतीय, अलीगढ, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, अलीगढ, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अलीगढ, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, अलीगढ, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ, जिला पंचायत राज अधिकारी, अलीगढ, मुख्य चिकित्साधिकारी, अलीगढ, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अलीगढ, अधिशाषी अभियंता, सिचाईं विभाग, अलीगढ एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अलीगढ को नामित किया गया। जिलाधिकारी, अलीगढ द्वारा अपने पत्र दिनांक– 04.09.2019 के माध्यम से मैसर्स एच0एम0ए0 एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, अलीगढ की जिलास्तरीय समिति की जांच आख्या दिनांक– 30.07.2019, सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की गयी। राज्य बोर्ड के पत्रांक– एच 44416 दिनांक– 02.12.2019 के साथ जिलास्तरीय समिति, अलीगढ की जांच आख्या दिनांक– 30.07.2019 को संलग्न कर उद्योग को दिनांक– 18.12.2019 को अपराह्न 03:00 बजे उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अपना पक्ष रखने हेतु सूचित किया गया।

राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ में दिनांक– 18.12.2019 की सुनवाई के दौरान उद्योग की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री जुल्फिकार अहमद कुरैशी, निदेशक एवं श्री अख्तर सईद, महाप्रबन्धक एवं उनके अधिवक्ता श्री सिद्वार्थ बाबा, मैसर्स एच0एम0ए0 एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड तथा बोर्ड की ओर से श्री आर0के0 सिंह, मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), श्री महेन्द्र नाथ, विधि अधिकारी (प्रथम) एवं श्री राम गोपाल, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ उपस्थित हुयें। सुनवाई के दौरान उद्योग प्रतिनिधि एवं उनके अधिवक्ता द्वारा जिलाधिकारी, अलीगढ द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक– 04.09.2019 के साथ संलग्न जिलास्तरीय समिति की जांच दिनांक– 30.07.2019 में पायी गयी 18 कमियों के परिप्रेक्ष्य में किये गये अपेक्षित सुधार पर अपना लिखित उत्तर फोटोग्राफ्स एवं अन्य अभिलेखों सहित उपलब्ध कराया गया तथा मौखिक रूप से पायी गयी कमियों से इन्कार करते हुये आपत्ति व्यक्त की गयी। उद्योग द्वारा पायी गयी कमियों के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार उत्तर दिया गया।

उत्प्रवाह के मापन, जो सिचाई हेतु प्रयोग में
1. उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र से निस्तारित ... को फ्लो मीटर की स्थापना कर लिया गया है।
   लाया जाता है, के मापन हेतु दिनांक– 28.08.2019 को फ्लो मीटर की स्थापना कर लिया गया है।
   एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 का
2. उद्योग द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 का ... यह भी अवगत कराया गया कि संयुक्त जांच आख्या में अनुपालन करना सूचित किया गया है तथा यह भी अवगत कराया गया कि संयुक्त जांच आख्या में किन बिन्दुओं पर उपरोक्त नियम की अवहेलना की गयी, स्पष्ट नही किया गया है। उद्योग सत्–प्रतिशत् मांस निर्यातक इकाई है तथा मांस की पैकिंग हेतु 50 माइक्रोन से अधिक मोटाई की पॉलिथीन शीट प्रयोग में लाया जाता है। यह भी सूचित किया गया है कि प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु निर्यातक देशों के नियमों के अनुरूप मांस आपूर्ति के समझौता पत्र पर इस बिन्दु पर संशोधन की कार्यवाही की जायेगी। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु बोनमिल, टैलों, खाल सह उत्पाद के रूप में बनाया जाता है, जिसे देश की विभिन्न औद्योगिक इकाईयों को बेचा जाता है।
3. उद्योग के उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र से जनित स्लज एवं पशुवध तथा लैरेज इत्यादि से जनित गोबर ठोस अपशिष्ट को स्थानीय किसानों को दिया जाता है, जिसकी सूचना क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ को दिनांक– 16.08.2018 दी जा चुकी है तथा पुनः दिया जा रहा है।

4. उद्योग से जनित घरेलू जल–मल के समुचित प्रबन्धन/शोधन के परिप्रेक्ष्य में प्लास्टिक नियम, 2016 एवं ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 का अनुपालन किया जाना सूचित किया गया है।
5. केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण की शर्तों के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में उद्योग में 03 तालाबो को रिचार्जिंग हेतु लिया गया है, जिसका अनुबंध सम्बन्धित ग्राम प्रधानों से किया गया है। अनुबंधित तालाबों के चारो तरफ पर्याप्त वृक्षारोपण कराया गया है, जो फेंसिग का कार्य करते है, जिसका अनुरक्षण उद्योग द्वारा कराया जाता है। तालाबों की रिचार्जिंग हेतु बोरवेल की स्थापना की गयी है, जिसकी ड्राइंग इत्यादि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ को प्रेषित की गयी।
6. उत्तर उपरोक्त बिन्दु– 3 के अनुसार।
7. उत्तर उपरोक्त विन्दु– 3 के अनुसार।
8. उत्तर उपरोक्त बिन्दु– 1 के अनुसार।
9. उद्योग के अनुसार रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिग की व्यवस्था स्थापित व संचालित है तथा किसी भी दशा में बरसाती जल औद्योगिक उत्प्रवाह में मिश्रित नही हो सकता।
10. राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति जल आदेश की शर्त सं0– 12 के अनुपालन में मानसून अवधि में पशुवध का कार्य नही किया गया है अतएव शर्त सं0– 12 का कोई उल्लंघन नही किया गया है।
11. राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति जल आदेश की शर्त सं0– 14, जिसके अनुसार जल खपत एवं निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार पुनरीक्षित विस्तृत प्रस्ताव न प्रेषित करने के संदर्भ में उद्योग द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार अधिकांश बिन्दुओं पर कार्यवाही कर ली गयी है।
12. उद्योग द्वारा शोधित उत्प्रवाह का निस्तारण करनाल टैक्नोलॉजी के माध्यम से सिचाई में प्रयोग में लाया जाता है तथा उत्प्रवाह को सिचाई के अतिरिक्त ड्रेन में निस्तारित करने हेतु पूर्व स्थापित बाईपास लाइन को दिनांक– 16.10.2019 को ध्वस्त कर दिया गया है।
13. उद्योग द्वारा सूचित किया गया है कि वधशाला से जनित प्रदूषित औद्योगिक उत्प्रवाह को उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तक ढकी हुयी नाली से लाया जाता है अतएव बरसाती पानी प्रदूषित उत्प्रवाह में मिलने की कोई संभावना नही है।
14. पशुवधशाला के विभिन्न कार्यशालाओं से जनित प्रदूषित औद्योगिक उत्प्रवाह को (जल सहमति आदेश की शर्त सं0– 15 के अनुपालन में) मेन होल में लेने का प्राविधान कर लिया गया है।
15. साल्ट रिकवरी प्लांट का निर्माण, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार कर लिया गया है। जिसकी आख्या क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ को दी जा चुकी है।
16. उद्योग द्वारा वायु सहमति की शर्त सं0– 5 के अनुपालन में वार्षिक पर्यावरण अभिकथन को तैयार कर क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ में दी जा चुकी है।
17. उत्तर उपरोक्त बिन्दु– 11 के अनुसार।
18. वायु सहमति आदेश की शर्त सं0– 15 के अनुसार उद्योग को ड्राई रेन्ड्रिग के निर्देश थे, के अनुपालन में उद्योग शुष्क प्रकिया पर आधारित रेन्ड्रिग प्लांट चलाता है तथा रेन्ड्रिग प्लांट की बढायी गयी क्षमता एवं ब्वायलर प्रयोग में नही लाया जाता है।

सुनवाई के दौरान उद्योग प्रतिनिधि एवं उनके अधिवक्ता के कथन एवं लिखित अभिकथन दिनांक– 18.12.2019 पर मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–4) एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ द्वारा आपत्ति की गयी, इनके द्वारा अभिकथन किया गया कि जिलाधिकारी अलीगढ द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक– 04.09.2019 के माध्यम से प्रेषित जिलास्तरीय समिति, अलीगढ की जांच आख्या दिनांक–

30.07.2019 पर ध्यान आकृष्ट कराया गया, जिसमें जिलास्तरीय समिति, अलीगढ द्वारा दर्शायी गयी कमियों से अवगत कराया गया।

उल्लेखनीय है कि जिलास्तरीय समिति, अलीगढ की जांच दिनांक– 30.07.2019 के दौरान मैसर्स एच0एम0ए0 एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, तालसपुर खुर्द, मथुरा बाईपास रोड, तहसील– कोल, जनपद– अलीगढ में निम्न कमियाँ पायी गयी थी :–

- ➢ इकाई को केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण जल संस्थान, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के पत्र दिनांक– 22.10.2018 को भू–जल दोहन हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। जिसकी शर्त संख्या– 3, 4, 5, 6 एवं 8 के अनुपालन में ग्राउण्ड वॉटर के रिचार्ज हेतु इकाई द्वारा 03 गॉव सिगांरपुर, इब्राहिमपुर एवं शाहपुर कुतुब में स्थित तालाब गोद लिये गये है। जिसमें से गॉव सिंगारपुर में स्थापित तालाब का निरीक्षण किया गया। तालाब पर पानी रिचार्ज व्यवस्था स्थापित नही है तथा तालाब के किनारे पर फैनसिंग आदि नही की गयी है तथा उचित मात्रा में वृक्षारोपण भी नही किया गया है तथा तालाब में पानी रिचार्ज किये जाने संबंधी डिजाइन आदि भी उपलब्ध नही कराये गये है।
- ➢ पैकेजिंग मैटरियल बेस्ट को कबाड़ी को बिक्रय किया जाना, उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया। निरीक्षण के समय उक्त के सम्बन्ध में कोई प्रपत्र उपलब्ध नही कराये गये।
- ➢ इन्जेस्टा (गोवर) कान्ट्रेक्टर को खाद बनाने हेतु दिया जाता है। निरीक्षण के समय ठेकेदार से किये गये अनुबन्ध एवं कम्पोस्टिंग स्थल के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नही करायी गयी।
- ➢ जल सहमति की शर्त सं0– 2 के अनुपालन में ई0टी0पी0, ओसीईएमएस के पश्चात् उत्प्रवाह को मापने हेतु विभिन्न बिन्दुओं जैसे करनाल टैक्नोलॉजी में निस्तारित शुद्विकृत उत्प्रवाह के मापन हेतु इलैक्ट्रोमेग्नेटिक फ्लोमीटर स्थापित नही पाये गये।
- ➢ सहमति की शर्त सं0– 5 के अनुपालन में इकाई में रूपटॉप रेन हार्वेस्टिंग व्यवस्था भूमिगत स्थापित की गयी है, जो कि उचित प्रतीत नही होती है। रेन हार्वेस्टिंग व्यवस्था भूमिगत होने के कारण रेन हार्वेस्टिंग में औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण होना भी संभावित है।
- ➢ सहमति की शर्त सं0– 12 के अनुक्रम में वर्षा ऋतु में उत्प्रवाह को सिचांई में आवश्यकता न होने की दशा में पशुवध कार्य बन्द किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। शर्त के अनुपालन में वर्षा ऋतु में इकाई के बन्द होने के साक्ष्य उपलब्ध नही कराये गये है।
- ➢ सहमति की शर्त सं0– 14 के अनुपालन में सी0पी0सी0बी0 द्वारा निर्गत Revised Comprehensive Document on Slaughter House- 2017 में निहित जल खपत एवं उत्प्रवाह की मात्रा गाइड लाइन के अनुसार तैयार कर प्रस्ताव जमा नही कराये गयें।
- ➢ करनाल टैक्नोलॉजी तक भूमिगत पाइप लाइन द्वारा शुद्धिकरण संयंत्र से जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह का निस्तारण किया जाता है।
- ➢ इकाई में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र से मडराक ड्रेन तक स्थापित बाईपास लाइन से नाले में निस्तारण हेतु राज्य बोर्ड से अनुमति प्राप्त नही की गयी है।
- ➢ जल सहमति आदेश पत्रांक– 81/सी–4/सहमति जल–3/2016 दिनांक– 27.12.2017 की शर्त सं0– 15 के अनुपालन में स्लाटरिंग एरिया से ई0टी0पी0 तक ओपेन चैनल के माध्यम से उत्प्रवाह आने की व्यवस्था है, जिसमें बरसात एवं तूफानी जल मिक्स होकर ई0टी0पी0 में जाने की संभावना है।

- जल सहमति शर्त सं0– 16 के अनुपालन में उत्प्रवाह के अन्तिम निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह एकत्रण हेतु टर्मिनल मेन होल की व्यवस्था स्थापित नही की गयी है।
- पशुवध से जनित हाइड भण्डारण से जनित नमक की रिकवरी हेतु स्थापित सॉल्ट रिकवरी व्यवस्था संतोषजनक नही है, जिसके संबंध में तकनीकी दृष्टि से उचित फिजीबिल्टी रिपोर्ट जमा नही की गयी है।
- बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक– जी 4830/सी–4/अनापत्ति प्रमाण पत्र/505/2008 दिनांक– 28.07.2008 के द्वारा स्वीकृत अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त सं0– 15 के अनुसार इकाई में ड्राई रेन्ड्रिग प्लाण्ट क्षमता 4.0 टन/घण्टा, ब्वॉयलर 5.0 टन/घण्टा के डीजल फायर्ड से सम्बन्ध चिमनी की ऊँचाई भूतल से 40.0 मीटर स्थापित की जानी थी जबकि वर्तमान में रेन्ड्रिग क्षमता– 10.0 टन/घण्टा हेतु 06 टी0पी0एच0 एवं 400 कि0ग्रा0/घण्टा क्षमता के ब्वॉयलर स्थापित है तथा ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके सम्बन्ध में राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नही किया गया है।
- राज्य बोर्ड द्वारा जारी वायु सहमति की शर्त सं0– 15 के अनुसार ड्राई रेन्ड्रिग की जानी थी जबकि उद्योग द्वारा ड्राई रेन्ड्रिग प्लाण्ट के स्थान पर Wet Process पर आधारित रेन्ड्रिग प्लाण्ट की स्थापना की गयी है, जो कि शर्त सं0– 15 का स्पष्ट उल्लंघन है।
- अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त सं0– 16 के अनुपालन में इकाई में ब्वॉयलर हेतु ईंधन के रूप में डीजल के स्थान पर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है।

उद्योग मैसर्स एच0एम0ए0 एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, तालसपुर खुर्द, मथुरा बाईपास रोड, तहसील– कोल, जनपद– अलीगढ, जो 500 भैंस/भैंसा का वध कर 70.5 एम0टी0/दिन फ्रोजन मीट एवं वधशाला से जनित अपशिष्टों के प्रसंस्करण से उत्पादित सह उत्पादों हेतु स्थापित है, द्वारा जिलास्तरीय समिति, अलीगढ की जांच आख्या दिनांक– 30.07.2019 में पायी गयी कमियों के परिप्रेक्ष्य में उद्योग मैसर्स एच0एम0ए0 एग्रो इण्डस्ट्रीज द्वारा प्रस्तुत उत्तर जो सुनवाई दिनांक– 18.12.2019 के दौरान लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है, संतोषजनक नही पाया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

1. वर्षाकाल के दौरान राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के निर्देशानुसार उद्योग बन्द रखने का कोई प्रमाणिक अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया।
2. सिचाई के अतिरिक्त बाईपास लाइन के माध्यम से मडराक ड्रेन में उत्प्रवाह का निस्तारण न किये जाने के सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया।
3. राज्य बोर्ड के सहमति वायु आदेश की शर्त सं0– 15 का उल्लंघन कर ड्राई रेन्ड्रिग प्लाण्ट के स्थान पर Wet Process पर आधारित रेन्ड्रिग प्लाण्ट का संचालन किया गया है। वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा– 21/22 का उल्लंघन है।
4. केन्द्रीय भूगर्भ जल आयोग द्वारा निर्गत भूगर्भ जल दोहन हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित शर्तों का समुचित अनुपालन नही किया गया।
5. बिना राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति के उद्योग में रेन्ड्रिग प्लांट व ब्यायलर की क्षमता का विस्तार किया गया। वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा– 21/22 का उल्लंघन है।
6. राज्य बोर्ड द्वारा अनुमन्य ईंधन के अतिरिक्त भिन्न प्रकृति के अधिक प्रदूषणकारी ईंधन का ब्यायलर में प्रयोग किया गया।

7. उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र से जनित ठोस अपशिष्ट के नियमानुसार निस्तारण हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन है।
8. उद्योग परिसर में रॉ–हाइड के अस्थाई भण्डारण से जनित नमकयुक्त उत्प्रवाह से नमक को अलग करने की उपयुक्त व्यवस्था नही की गयी है। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा– 24/25/26 का उल्लंघन है।

उपरोक्त उल्लिखित बिन्दु संख्या– 01 से 08, जिसका उल्लेख पृष्ठ सं0– 05 व 06 पर किया गया है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि उद्योग मैसर्स एच0एम0ए0 एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, तालसपुर खुर्द, मथुरा बाईपास रोड, तहसील– कोल, जनपद– अलीगढ द्वारा 18 बिन्दुओं पर प्रेषित उत्तर, जिसका उल्लेख इस आदेश के पृष्ठ 02 और 03 पर किया गया है, संतोषजनक नही है तथा तथ्यों से परे है। उद्योग मैसर्स एच0एम0ए0 एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, तालसपुर खुर्द, मथुरा बाईपास रोड, तहसील– कोल, जनपद– अलीगढ द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित एवं पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के वर्णित प्राविधानों का अनुपालन नही किया गया, जो कि उपरोक्त वर्णित अधिनियमों का उल्लंघन है।

अतएव उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त् माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट सी सं0– 38449/2019 में पारित आदेश दिनांक–05.12.2019 के अनुपालन में राज्य बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 (ए) सपठित 27 (2) के अंतर्गत मैसर्स एच0एम0ए0 एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, तालसपुर खुर्द, मथुरा बाईपास रोड, तहसील– कोल, जनपद– अलीगढ को निर्गत कारण बताओं नोटिस पत्रांक– एच 37151 दिनांक– 10.06.2019 के अनुकम में प्राप्त प्रत्यावेदन दिनांक– 14.06.2019 एवं दिनांक– 25.06.2019 निस्तारित करते हुये मैसर्स एच0एम0ए0 एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, तालसपुर खुर्द, मथुरा बाईपास रोड, तहसील– कोल, जनपद– अलीगढ को राज्य बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 (ए) सपठित 27 (2) के अंतर्गत निर्गत कारण बताओं नोटिस में निहित निर्देशों की पुष्टि करते हुये उद्योग बन्द रखने का निर्देश जारी किया जाता है।

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1. अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, अलीगढ़।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।
4. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, अलीगढ़।
5. मैसर्स एच0एम0ए0 एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, तालसपुर खुर्द, मथुरा बाईपास रोड, तहसील– कोल, जनपद– अलीगढ।

सदस्य सचिव 07.01.202